उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

पिकप भवन, तृतीय तल, विभूतिखंड, गोमती नगर, लखनऊ

संख्याः 45 /17/विज्ञा0अनु0 (ग्यारह)/2026/ओ0टी0आर0(O.T.R.)/2026

लखनऊः दिनांक-14 जुलाई, 2026

आवश्यक सूचना

आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन/एक बारगी पंजीयन (O.T.R.) प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन(O.T.R.) सुविधा **दिनांक 14-07-2026** से प्रारम्भ की जा रही है। उक्त प्रक्रिया प्रारम्भ होने के उपरान्त अभ्यर्थियों को भविष्य में विज्ञापित होने वाले विभिन्न विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु अपनी मूलभूत सूचनाओं को बार-बार दर्ज किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

वन टाइम रजिस्ट्रेशन(O.T.R.) के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं-

1. आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित की जाने वाली प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा अथवा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों को ओ0टी0आर0(O.T.R.) करना अनिवार्य होगा। भविष्य में आयोग के सभी विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु ओ0टी0आर0(O.T.R.) संख्या का उपयोग किया जाएगा।
2. ओ0टी0आर0(O.T.R.) पूर्णतः निशुल्क होगा।
3. अभ्यर्थियों को ओ0टी0आर0(O.T.R.) हेतु नवीन आवेदन अथवा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 की पंजीकरण संख्या के आधार पर आवेदन करना होगा।
4. यदि किसी अभ्यर्थी ने प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 हेतु आवेदन किया है, तो उसे प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 की पंजीकरण संख्या के आधार पर ही ओ0टी0आर0 (O.T.R.) हेतु आवेदन करना होगा।
5. ओ0टी0आर0(O.T.R.) के लिए अभ्यर्थी के पास वैध मोबाइल नंबर एवं वैध ई-मेल आईडी होना अनिवार्य है। मोबाइल नंबर एवं ई-मेल भर्ती प्रक्रिया की सम्पूर्ण अवधि तक सक्रिय रहने चाहिए।
6. मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी का सत्यापन ओ0टी0पी0(O.T.P.) प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जाएगा। अभ्यर्थी ई-मेल आईडी का सत्यापन ओ0टी0आर0 (O.T.R.) की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत डैश-बोर्ड के माध्यम से भी कर सकते है।
7. अभ्यर्थी को आवेदन पत्र मे नाम, जन्मतिथि, पिता एवं माता का नाम, राज्य, गृह जनपद, हाईस्कूल अर्हता आदि विभिन्न विवरण दर्ज करना होगा तथा स्थायी एवं पत्राचार हेतु पते का भी उल्लेख करना होगा।
8. अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपना अद्यतन रंगीन फोटोग्राफ 06 माह के अंदर का अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ का साइज 50 kb से 100 kb के बीच तथा JPEG/JPG फार्मेट में होना चाहिए।
9. अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होना चाहिए अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में हिन्दी में अपना नाम अवश्य लिखेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि अंग्रेजी भाषा के CAPITAL

LETTERS में हस्ताक्षर अमान्य होंगे। हस्ताक्षर का साइज 30 kb से 50 kb के बीच तथा JPEG/JPG फार्मेट में होना चाहिए।

10. ओ0टी0आर0(O.T.R.) हेतु आवेदन में दर्ज की गई समस्त जानकारी सही होनी चाहिए तथा अभिलेखों में उपलब्ध विवरण के अनुसार होनी चाहिए। ओ0टी0आर0 (O.T.R.) हेतु आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा दर्ज की गई समस्त प्रविष्टियाँ सही एवं पूर्ण हैं। गलत अथवा असत्य जानकारी दर्ज किए जाने पर आयोग द्वारा अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

11. ओ0टी0आर0(O.T.R.) की पंजीयन संख्या प्राप्त होने के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा दर्ज किये गये विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा।

12. प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल 01 ओ0टी0आर0(O.T.R.) संख्या धारित करने की अनुमति है। एक से अधिक ओ0टी0आर0(O.T.R.) संख्या धारित करने की स्थिति में आयोग द्वारा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

13. अभ्यर्थी अपने लॉगिन विवरण की गोपनीयता बनाए रखने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। पंजीयन संख्या के दुरुपयोग की स्थिति में आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

(सचिव)

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

लखनऊ